



ऑन लाईन नं. RCMS2019/00058

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 12/2019

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. हनुमान पुत्र श्री दानाराम शर्मा —नमूना विक्रेता एवं मालिक—  
मै० श्याम डेयरी, 28 बी ब्लॉक, वार्ड नम्बर 17, गांधी पाके पिछे, श्रीकरनपुर  
निवासी :- वार्ड नम्बर-6, 36 एच नग्गी, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा (2)(2)/51 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 20.07.2020

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.07.2018 को दोपहर पूर्व 10.00 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर वास्ते निरीक्षण फर्म मै० श्याम डेयरी, 28 बी ब्लॉक, वार्ड नम्बर 17, गांधी पाके के पिछे, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर हनुमान पुत्र श्री दानाराम शर्मा उम्र 23 वर्ष उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर श्री श्याम डेयरी का निरीक्षण किया तो उपरोक्त डेयरी में रखी एक फ्रिज युक्त टंकी में लगभग 20 लीटर गांय का दूध रखा था जो आमजन को विक्रय हेतु बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच K-907 के नमूनीकरण के लिये इस टंकी में रखे गाय के दूध का प्लंजर से हिलामिला कर एकरूप करके 2.0 लीटर गाय का दूध जिसकी कीमत 54/-रु० (अखरे रूपये चौवन मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा गवाहान श्री राकेश सचदेवा एवं सुरेश कुमार के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

*amp*  
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर


खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता श्री हनुमान पुत्र श्री दानाराम शर्मा एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा गांय का दूध को बराबर-बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं टेप चिपकाकर लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-907 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 जगह मोडकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1302/एक्ट/2018/1401 दिनांक 20.08.2018 स्तर (Substandard) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त हनुमान पुत्र श्री दानाराम शर्मा निवासी वार्ड नम्बर-6, 36 एच नग्गी, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गाय का दूध का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस गाय के दूध का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Sub-standard) पाया गया है। प्रार्थी अपना उक्त जुर्म स्वेच्छा से तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है तथा अपने उक्त जुर्म का आज ही निस्तारण करवाना चाहता है। अदालतवाला द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा प्रार्थी उसका सम्मानजनक पालन करेगा। लिहाजा जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति नरमाई का रुख अपनाया जाकर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

  
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गाय का दूध का सैम्पल के-907 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/ 1302/एक्ट/2018/1401 दिनांक 20.08.2018 द्वारा (Substandard) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा (2)(2)/51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शास्ति का प्रावधान है।


अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस गाय के दूध का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Sub-standard) पाया गया है। प्राथी अपना उक्त जुर्म स्वेच्छा से तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है तथा अपने उक्त जुर्म का आज ही निस्तारण करवाना चाहता है। अदालतवाला द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा प्रार्थी उसका सम्मानजनक पालन करेगा। लिहाजा जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रति नरमाई का रूख अपनाया जाकर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 20.08.2018 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात गाय का दूध विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त हनुमान पुत्र श्री दानाराम शर्मा नमूना विक्रेता एवं मालिक-पर **Food Under Section 3(1)(zx) of FSS Act, 2006 due to low contents of Milk solids not fat** के तहत गाय का दूध का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 के तहत 1,00,000/-रुपये (अखरे रुपये एक लाख मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त गाय का दूध का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में गाय का दूध के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज. गुजन सोनी)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)  
श्रीगंगानगर